भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *138
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थिति

***138. श्री अशोक कुमार रावतः**
श्री जुगल किशोरः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) कौशल विकास में वृद्धि करने और ग्रामीण युवकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए जम्मू और कश्मीर सहित अब तक राज्य-वार क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ग) क्या उक्त मिशन के अंतर्गत निजी क्षेत्र की संस्थाओं अथवा गैर-सरकारी संगठनों के साथ कोई भागीदारी की गई है , यदि हां, तो विशेषकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिले में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थिति के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *138 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), जून 2011 में शुरू की गई भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार लाना और इन परिवारों को उनके सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन हेतु संगठित करना है। डीएवाई-एनआरएलएम का लक्ष्य ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना और उन्हें आर्थिक कार्यकलापों में तब तक निरंतर सहयोग और पोषण प्रदान करना है जब तक कि वे अपनी आय में समय के साथ पर्याप्त वृद्धि प्राप्त न कर लें और अत्यंत गरीबी से बाहर न निकल जाएं। डीएवाई-एनआरएलएम की वर्तमान स्थिति **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ख) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत, ग्रामीण विकास मंत्रालय दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं , अर्थात् दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) का कार्यान्वयन करता है। ये कार्यक्रम देश में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से ग्रामीण गरीब युवाओं को लाभकारी रोजगार देने हेतु कौशल विकास में सहायता प्रदान करते हैं।

डीडीयू-जीकेवाई का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को नियोजन से जुड़ा कौशल प्रदान करना है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक मासिक वेतन वाली नौकरियां प्रदान करना है। डीडीयू-जीकेवाई 15-35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए नियोजन से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करता है और नियमित श्रम बाजारों में उनकी भागीदारी को सुगम बनाता है। डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (50%), महिलाओं (33%), और दिव्यांगजनों (5%) को सामाजिक समावेशन प्रदान करते हैं।

आरएसईटीआई ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक बैंक-प्रायोजित कार्यक्रम है , जिसके अंतर्गत प्रायोजक बैंक अपने-अपने जिलों में कौशल एवं उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करते हैं। यह मंत्रालय आरएसईटीआई भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और 'ग्रामीण गरीब' अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण का खर्च भी वहन करता है। स्व-रोज़गार या मजदूरी रोज़गार अपनाने के इच्छुक 18-50 वर्ष आयु वर्ग के किसी भी बेरोज़गार युवा को आरएसईटीआई में प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है।

देश में, डीडीयू-जीकेवाई के तहत कुल 17,50,784 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और कुल 11,48,247 प्रशिक्षित को नियोजित किया गया है ; और आरएसईटीआई के तहत कुल 56,69,265 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और कुल 40,99,578 अभ्यर्थियों को आरएसईटीआई की शुरूआत से जून 2025 तक नियोजित किया गया है। जम्मू और कश्मीर सहित डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई के तहत इसकी शुरूआत के बाद से जून 2025 तक प्रशिक्षित और नियुक्त/नियोजित अभ्यर्थियों का राज्य-वार विवरण क्रमशः **अनुबंध-II** और **III** में दिया गया है।

(ग) डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत, परियोजनाओं का कार्यान्वयन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) द्वारा परियोजना मोड में किया जाता है। ये पीआईए निम्नानुसार कोई भी इकाई हो सकती हैं:

i) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी या अर्ध-सरकारी संगठन,

ii) नीति आयोग के साथ पंजीकृत एनजीओ,

iii) भारतीय ट्रस्ट अधिनियमों या किसी राज्य सोसायटी पंजीकरण अधिनियम या किसी राज्य सहकारी समितियों या बहु-राज्य सहकारी अधिनियम या कंपनी अधिनियम 2003 या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008, या स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उसके संघों अर्थात् क्लस्टर स्तरीय संघ/ब्लॉक स्तरीय संघ के अंतर्गत पंजीकृत,

iv) स्टार्ट-अप आदि को छोड़कर तीन वर्ष से अधिक पुरानी संस्थाएँ।

छिंदवाड़ा जिले में कार्यरत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के नाम **अनुबंध-IV** में दिए गए हैं। इसके अलावा, पांढुर्ना जिला 5 अक्टूबर, 2023 को छिंदवाड़ा जिले से आधिकारिक रूप से अलग होने के बाद बना था। जून 2024 में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए एक अतिरिक्त लक्ष्य स्वीकृत किया गया था ; हालाँकि, तब से अभी तक कोई नया लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया है। इसलिए , अभी तक कोई नया लक्ष्य पांढुर्ना जिले के लिए भी आवंटित नहीं किया गया है।

चूंकि आरएसईटीआई एक बैंक प्रायोजित योजना है, इसलिए इसकी निजी क्षेत्र की संस्थाओं या गैर सरकारी संगठनों के साथ कोई साझेदारी नहीं है, अतः यह लागू नहीं है।

"राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थिति" के संबंध में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *138 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-।

क्र.सं.	संकेतक	जून, 2025 तक संचयी प्रगति
1	ब्लॉकों की संख्या	7,145
2	प्रोत्साहित स्वयं सहायता समूहों की संख्या (लाख में)	90.90
3	संगठित किए गए परिवारों की संख्या (करोड़ में)	10.05
4	स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की गई पूंजीकरण सहायता (रुपये करोड़ में)	58,714.44
5	स्वयं सहायता समूहों द्वारा अभिगम बैंक ऋण की राशि (रुपये करोड़ में)	10,89,463.33
6	स्थायी कृषि के अंतर्गत शामिल महिला किसानों की संख्या (करोड़ में)	4.62
7	एसवीईपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या (लाख में)	3.74
8	लखपति दीदियों की संख्या (करोड़ों में)	1.48

"राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थिति" के संबंध में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *138 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-।।

डीडीयू-जीकेवाई के तहत जून 2025 तक प्रशिक्षित और नियोजित अभ्यर्थी:

क्र. सं.	राज्य	संचयी कुल (2014-15 से जून 2025 तक)	
		प्रशिक्षित	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	133842	117881
2	अरुणाचल प्रदेश	2315	1008
3	असम	85912	52995
4	बिहार	80409	48742
5	छत्तीसगढ़	59075	34236
6	गुजरात	31933	19936
7	हरियाणा	51656	38855
8	हिमाचल प्रदेश	17657	9661
9	जम्मू और कश्मीर	71307	44870
10	झारखंड	79312	42759
11	कर्नाटक	56371	37246
12	केरल	76694	46382
13	मध्य प्रदेश	91731	53049
14	महाराष्ट्र	68179	46322
15	मणिपुर	7234	3624
16	मेघालय	8615	4977
17	मिजोरम	2844	1933
18	नागालैंड	7778	4979
19	ओडिशा	215409	177165
20	पंजाब	44407	29045
21	राजस्थान	80982	45462
22	सिक्किम	3157	1911

23	तमिलनाडु	77797	74427
24	तेलंगाना	67934	52610
25	त्रिपुरा	12668	7598
26	उत्तर प्रदेश	244528	103718
27	उत्तराखंड	23065	14903
28	पश्चिम बंगाल	44586	29741
29	पुदुचेरी	2431	1753
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	956	459
	कुल	**1750784**	**1148247**

स्रोतः कौशल भारत पोर्टल।

"राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थिति" के संबंध में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *138 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-।।।

आरएसईटीआई की शुरूआत से लेकर जून 2025 तक इसके अंतर्गत प्रशिक्षित और नियोजित अभ्यर्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र. सं.	राज्य का नाम	संचयी (शुरूआत से जून 2025 तक)	
		प्रशिक्षित	नियोजित
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5342	4207
2	आंध्र प्रदेश	178704	131411
3	अरुणाचल प्रदेश	4257	2496
4	असम	181198	119227
5	बिहार	368473	265365
6	छत्तीसगढ़	160120	114203
7	दादरा और नगर हवेली	8765	5679
8	गोवा	368	57
9	गुजरात	343510	242164
10	हरियाणा	188812	124719
11	हिमाचल प्रदेश	82005	57386
12	जम्मू एवं कश्मीर	114813	84097
13	झारखंड	234103	160709
14	कर्नाटक	419299	305397
15	केरल	156322	119754
16	लक्षद्वीप	2280	1289
17	मध्य प्रदेश	436835	308280
18	महाराष्ट्र	322976	239887
19	मणिपुर	8436	5847
20	मेघालय	23315	13467
21	मिजोरम	9013	7344
22	नागालैंड	4785	3199
23	ओडिशा	292195	226545
24	पुदुचेरी	10951	8311

25	पंजाब	153552	105646
26	राजस्थान	434478	319948
27	सिक्किम	5681	3890
28	तमिलनाडु	329475	247696
29	तेलंगाना	100656	78644
30	त्रिपुरा	39052	25328
31	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	5432	3564
32	उत्तर प्रदेश	755966	554877
33	उत्तराखंड	101626	73147
34	पश्चिम बंगाल	186470	135798
	कुल :	**5669265**	**4099578**

स्रोत: एनएसीईआर

'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थिति' के संबंध में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *138 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-IV

छिंदवाड़ा जिले में कार्यरत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (पीआईए):

क्र.सं	पीआईए का नाम
1	आईसेक्ट
2	अनुरोध मानव कल्याण समिति
3	परिधान प्रशिक्षण और डिजाइन केंद्र
4	इन्फोटेक एजुकेशन सोसायटी
5	जोसेफ श्री हर्ष और मैरी इंद्रजा एजुकेशनल सोसायटी
6	लोटस ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
7	रस्तोगी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
8	समाधान समाज सेवा संगठन
9	सत्यम सतपुड़ा समाज सेवा समिति
10	ट्राइडेंट लिमिटेड
11	टीएसडी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
12	वजीर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड